

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3, सोनभद्र
पीठासीन: निहारिका चौहान, एच0जे0एस0 (जे0ओ0 कोड-6252)
सत्र परीक्षण संख्या-254 सन् 2011 (मु0अ0सं0-508/2011)
राज्य

बनाम करीमन
धारा-4/25 आयुध अधिनियम
थाना-राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

-:आरोप:-

मैं, निहारिका चौहान, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3, सोनभद्र आप अभियुक्त **करीमन उर्फ इन्द्रजीत** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करती हूँ:-

प्रथम:- यह कि दिनांक 01.05.2021 को समय 21.15 बजे बहद स्थान सोन पम्प कैनाल से दो किलोमीटर पूर्व बहद ग्राम चुर्क, थाना राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में पुलिस बल द्वारा आपके कब्जे से एक अदद धारदार चाकू बरामद किया गया जिसको रखने का आपके पास कोई लाइसेंस नहीं था। इस प्रकार आपने आयुध अधिनियम की धारा-4 का उल्लंघन किया जो उक्त अधिनियम की धारा-25 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आपका का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनांक-21.05.2022

(निहारिका चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3,
सोनभद्र

उपरोक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और परीक्षण की माँग की।

दिनांक-21.05.2022

(निहारिका चौहान)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3,
सोनभद्र

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3, सोनभद्र
पीठासीन: निहारिका चौहान, एच0जे0एस0 (जे0ओ0 कोड-6252)
सत्र परीक्षण संख्या-254 सन् 2011 (मु0अ0सं0-508/2011)
राज्य बनाम करीमन
धारा-4/25 आयुध अधिनियम
थाना-राबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र

-:आदेश पत्रक:-

21.05.2022

सत्र परीक्षण पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त करीमन उर्फ इन्द्रजीत मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया।

पत्रावली आज आरोप विरचन के बिन्दु पर सुनवाई हेतु नियत है।

आरोप विरचन के बिन्दु पर अभियोजन पक्ष तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उभय पक्ष के तर्कों को सुनने, केस डायरी व फर्द बरामदगी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दौरान विवेचना, विवेचक द्वारा जो साक्ष्य संकलित किया गया है, उसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा-4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप विरचित कर कार्यवाही अग्रसर किये जाने का आधार पर्याप्त है।

तदनुसार अभियुक्त करीमन उर्फ इन्द्रजीत के विरुद्ध धारा-4/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप अलग पन्ने पर विरचित किया गया। विरचित आरोप से अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनांक-07.06.2022 को सत्र परीक्षण संख्या-247 सन् 2011 के साथ पेश हो। अभियोजन साक्षी जरिये सम्मन तलब हो।

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-3,
सोनभद्र